

दिल्ली में निजी स्कूलों के शुल्क नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

कानून जनहित में, लेकिन जल्दबाजी ठीक नहीं

जनसत्ता ब्लूरो
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के निजी स्कूलों की फीस



उठाया कि जुलाई तक फीस को मंजूरी देने की समयसीमा भी समाप्त हो चुकी है, ऐसे में जल्दबाजी क्यों की जा रही है।

इस कानून को 10 दिसंबर को अधिसूचित किया गया था, जिसमें तीन स्तरीय समिति के माध्यम से फीस बहोतरी को नियंत्रित करने का प्रावधान है। इसके बाद 24 दिसंबर को जारी सुन्दरी में निजी स्कूलों को फीस रेगुलेशन समितिया गठित करने और प्रस्ताव जमा करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 जनवरी को इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं जनहित में हो, लेकिन इसे जल्दबाजी और पिछली तारीख से लागू करना व्यावहारिक और वित्तीय समस्याएँ पैदा कर सकता है। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नरसिंहा ने कहा कि अदालत कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस इस बात की है कि शैक्षणिक वर्ष पहले ही शुरू हो चुका है और अब कम समय में समितियों का गठन और फीस निर्धारण करना अव्यवहारिक है। उन्होंने सवाल

पर नोटिस जारी करते हुए समयसीमा बढ़ाई थी।

स्कूल प्रबंधन की ओर से वरिष्ठ अधिकारी मुकुल रोहतानी ने दलील दी कि यह अधिनियम के दौरान से टकराता है और इसे मौजूदा शैक्षणिक सत्र पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। वहीं जनरल ने कानून को सही ढरता हुए कहा कि ली जा रही फीस को प्रस्तावित माना जाएगा। कोर्ट ने टिप्पणी की कि इसे पूरी व्यवस्था और अधिक उलझा जाती है।

डीएसईयू की महिला व्याख्याता की शिकायत पर उत्पीड़न और वेतन दरी का मामला दर्ज

नई दिल्ली, 19 जनवरी (संवाददाता)।

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) की एक महिला व्याख्याता की शिकायत पर उत्पीड़न, वेतन में दरी और सेवा रिकार्ड से छेड़छाके के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की है।

यह एफआईआर सात जनवरी को द्वारका अदालत के आदेश पर द्वारका (दक्षिण) थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की।

शिकायतकर्ता के आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन विवरण का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बाद उन्हें बार-बार भुगतान में देरी का सामना करना पड़ा, जिससे वह अधिक संकट में आ गई। उनका दावा है कि वेतन न मिलने के कारण उसकी किशोरी चूक गई और भारी जुर्माना भरना पड़ा। महिला ने यौन और प्रशासनिक उत्पीड़न के साथ-साथ सेवा रिकार्ड को

नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया है।

द्वारका अदालत ने अपने आदेश में कहा कि लगाए गए आरोप संज्ञय अपराध की श्रेणी में आते हैं, इसलिए पुलिस मामला दर्ज कर जांच करनी चाहिए। इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, अप्रैल 2024 में उन्हें नियंत्रित कर दिया गया, जिसे उन्होंने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई बताया। बाद में आंतरिक जांच के बाद एक अकूवर 2024 को निलंबन रख कर दिया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी फाइल और सेवा पुस्तकाका क्षतिरस्त पाई गई, जिससे उनके भवित्व के रोजगार और सेवानिवृत्ति लापौरे पर असर पड़ सकता है।

डीएसईयू के कुलपति अशोक नागवत ने सभी आरोपों की नियाधार बताते हुए कहा कि शिकायत द्वाव बनाने के उद्देश्य से की गई है और विश्वविद्यालय कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है।

धारदार हथियार से वार कर शख्स की हत्या, नहीं हो सकी शिनाख्त

नई दिल्ली, 19 जनवरी (संवाददाता)।

द्वारका उत्तरी थाना क्षेत्र स्थित पार्क में एक शख्स की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस को वारदात की जानकारी सोमवार सुबह रुस वक्तव्य मिली, जब लोग पार्क में टहलने के लिए पहुंचे और उन्होंने शख्स को खुन से लथपथ देखा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पर शख्स के पास से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके।

पुलिस ने वाराया कि उसके शरीर पर धारदार हथियार के नियान मिले हैं, जिससे आशका जारी होती है कि लड़ाई-झगड़े के बीच उसकी हत्या की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके बाले की ओर तकरीबन 25 से 30 के बीच हैं। फिलहाल

पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों के बारे में जानकारी जुटाने में जुटी है।

पुलिस को वारदात की जानकारी सोमवार सुबह रुस वक्तव्य मिली, जब लोग पार्क में टहलने के लिए पहुंचे और उन्होंने शख्स को खुन से लथपथ देखा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पर शख्स के पास से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके।

पुलिस ने वाराया कि उसके शरीर पर धारदार हथियार के नियान मिले हैं, जिससे आशका जारी होती है कि लड़ाई-झगड़े के बीच उसकी हत्या की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके बाले की ओर तकरीबन 25 से 30 के बीच हैं। फिलहाल

पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों के बारे में जानकारी जुटाने में जुटी है।

पुलिस को वारदात की जानकारी सोमवार सुबह रुस वक्तव्य मिली, जब लोग पार्क में टहलने के लिए पहुंचे और उन्होंने शख्स को खुन से लथपथ देखा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पर शख्स के पास से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके।

पुलिस ने वाराया कि उसके शरीर पर धारदार हथियार के नियान मिले हैं, जिससे आशका जारी होती है कि लड़ाई-झगड़े के बीच उसकी हत्या की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके बाले की ओर तकरीबन 25 से 30 के बीच हैं। फिलहाल

पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों के बारे में जानकारी जुटाने में जुटी है।

पुलिस को वारदात की जानकारी सोमवार सुबह रुस वक्तव्य मिली, जब लोग पार्क में टहलने के लिए पहुंचे और उन्होंने शख्स को खुन से लथपथ देखा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पर शख्स के पास से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके।

पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों के बारे में जानकारी जुटाने में जुटी है।

पुलिस को वारदात की जानकारी सोमवार सुबह रुस वक्तव्य मिली, जब लोग पार्क में टहलने के लिए पहुंचे और उन्होंने शख्स को खुन से लथपथ देखा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पर शख्स के पास से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके।

पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों के बारे में जानकारी जुटाने में जुटी है।

पुलिस को वारदात की जानकारी सोमवार सुबह रुस वक्तव्य मिली, जब लोग पार्क में टहलने के लिए पहुंचे और उन्होंने शख्स को खुन से लथपथ देखा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पर शख्स के पास से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके।

पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों के बारे में जानकारी जुटाने में जुटी है।

पुलिस को वारदात की जानकारी सोमवार सुबह रुस वक्तव्य मिली, जब लोग पार्क में टहलने के लिए पहुंचे और उन्होंने शख्स को खुन से लथपथ देखा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पर शख्स के पास से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके।

पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों के बारे में जानकारी जुटाने में जुटी है।

पुलिस को वारदात की जानकारी सोमवार सुबह रुस वक्तव्य मिली, जब लोग पार्क में टहलने के लिए पहुंचे और उन्होंने शख्स को खुन से लथपथ देखा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पर शख्स के पास से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके।

पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों के बारे में जानकारी जुटाने में जुटी है।

पुलिस को वारदात की जानकारी सोमवार सुबह रुस वक्तव्य मिली, जब लोग पार्क में टहलने के लिए पहुंचे और उन्होंने शख्स को खुन से लथपथ देखा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पर शख्स के पास से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके।

पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों के बारे में जानकारी जुटाने में जुटी है।